

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/छात्रावास मैस/निविदा 2023-24

दिनांक:— 24.07. 2023

निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी वर्ष 2023-24 के लिए पुरुष एवं महिला छात्रावास में भोजन आपूर्ति हेतु अलग-अलग निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी वि०वि० की वेबसाईट www.hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि०वि० के वेबसाईट www.hnbgu.ac.in से दिनांक 08.08.2023 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक कार्यालय के छात्रावास अनुभाग में निविदाओं के शील्ड लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 09.08.2023 के सायं 4.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 10.08.2023 को अपराह्न 2.00 बजे खोला जायेगा।


24/07/2023

निदेशक
निदेशक
है० न० ब० गद्वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गद्वाल (उत्तराखण्ड)


24/07/2023
सर्योजक / उप-छात्रावास अधीक्षक

उप-छात्रावास अधीक्षक
है० न० ब० गद्वाल विश्वविद्यालय
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गद्वाल (उत्तराखण्ड)
फिन-००३१४९

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल ठिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/निविदा 2023-24

दिनांकः— 24.7.2023

भोजन निविदा—प्रपत्र
वित्तीय वर्ष—2023-24

निविदा प्रपत्र के चार भाग है।

- (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
- (ख) साप्ताहिक मैनू
- (ग) तकनीकी बिड
- (घ) वित्तीय बिड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें :-

1. स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल ठिहरी की छात्रावास समिति की ओर से छात्र/छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से पुरुष तथा महिला छात्रावास के लिए अलग—अलग शील्ड निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख), तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ट पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए—4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा । तथा वित्तीय बिड प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा । इस प्रकार प्रत्येक निविदा के लिए एक बड़ा ए—4 साईज एवं एक छोटा लिफाफा शील्ड बन्द कर देना होगा जिसके बाहर निविदा दाता का नाम पता एवं मोबाइल फोन० लिखना आवश्यक है।
2. निविदा प्रपत्र वि०वि० की वेबसाईट www.hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 09.08.2023 सायं 4.00 बजे तक शील्ड लिफाफे में परिसर निदेशक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए ।
3. निविदाकर्ता को दोनो मैस (पुरुष तथा महिला) में से एक ही मैस आवृत्ति की जायेगी। प्रथम आवृट्टन पुरुष छात्रावास मैस का होगा तथा यदि किसी निविदादाता को पुरुष छात्रावास मैस आवृत्ति हो जाती है तो उस निविदादाता को द्वितीय निविदा आवृट्टन (महिला छात्रावास) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (यदि निविदादाता की दो निविदाये हो)
4. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समुख दिनांक 10.08.2023 को अपरान्ह 2 बजे खोली जायेंगी।
5. संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार पुरुष/महिला छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
6. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ—2 परिसर प्रशासन के सम्पर्क में रह कर किसी भी शिकायत का त्वरित निदान करवाया जा सके।

7. ग्रीष्मावकाश 2024 अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में रु0 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट / बैंकर्स चैक जो निदेशक एस0आर0टी परिसर बादशाहीथौल के पक्ष में सलंगन करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवृत्ति निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी ।
9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर रु0 2,00,000.00 (दो लाख मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ0डी0आर/टी0डी0आर निदेशक है0न0ब0ग0वि0वि0 परिसर बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही रु0 100.00 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा । मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।
10. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि 2.0 (दो लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रु0 5000.00 डिमाण्ड ड्राप्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्टन ईंधन/गैस भट्टी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्टन (जैसे डोंगा,चम्च,हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री भीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी,दाल,चावल,आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
12. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्रीयों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय-2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी ।
13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी । परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को दी जायेगी ।
14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे । (पुरुष छात्रावास में 6 से 8 तथा महिला छात्रावास में 05 कर्मचारी रखने होंगे) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी । कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेंगे । कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा । अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा । मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेंगे तथा परोसेंगे ।

छात्रावास में गैरा कर्मचारियों की संख्या कम होने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन ₹0 200.00 (दो रुपौ) की दर से अर्थदण्ड देना होगा।

15. परिसार प्रशारान द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं रटोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेगे, जिराकी रवच्छता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। डायनिंग हाल में टूट-फूट एवं गरमता पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा।
16. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसार प्रशारान की होगी, ठेकेदार को गैरा में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। गैरा ठेकेदार को गैरा का किराया ₹0 2000.00, विधुत बिल का फिरा किराया ₹0 1500.00 प्रति माह एवं पानी का फिरा बिल ₹0 500.00 प्रतिगाह की दर से कुल ₹0 4000.00 (चार हजार गात्र) प्रत्येक माह की 10 तारिख तक रवय छात्रावास काशीलय में जमा करना होगा।
17. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (गैरा संचालक) के द्वारा करनी होगी।
18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की रखच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलायी जायेगी। बचे भोजन को एकत्र कर परिसार से बाहर निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
19. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रैकट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रैकट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की दी जायेगी।
20. ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा।
21. परिसार में अधिकारिक अवकाश एक सप्ताह से अधिक (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा।
22. निविदादाता के लिए परिसार छात्रावास भैंस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर ₹0 150.00 प्रतिदिन प्रतिछात्र निर्धारित की गयी है। दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. संलग्न भैंस्य के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देना चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।
24. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के छात्रावास समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
25. निविदादाता को संलग्न भैंस के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी।


26. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा।
27. ठेकेदार को शास्त्रीय नियन अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा।
28. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिचर ने निविदादाता तथा उसके कर्नचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्नचारियों के पतों के स्त्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नशा या धुम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा, छात्रावास लघीकरण / लघीकिका की शिकायत पर एक सप्ताह के नोटिस देने के बाद निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा।
29. नोजनालय में कार्यरत कर्नचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्नचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया बनानी होगी। कर्नचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी।
30. किसी भी दिशेष में नैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में बाड़न को ट्रिपोर्ट के आधार पर मुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ड्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिनृति राशि जब्त कर दी जायेगी।
31. किंचन में जनन सुरक्षा का सनुचित प्रबन्ध करने की जिन्नेदारी ठेकेदार की होगी। नोजन बनाते हीन्दू जीवानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
32. नैस लंग नालियों और होने पर तथा गड्डे भरने पर, नालीयों/गड्डे की सफाई आदि कार्य द्वारा ठेकेदार को अपने खर्चे पर करना होगा।
33. नैस में ठेकेदार को अपना गोजर लगाना होगा।
34. परिचर प्रशासन एक नाह का नोटिस तथा नैस संचालक तीन नाह का नोटिस देकर अनुबन्ध संकर कर सकते हैं।
35. टेन्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेंडर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेंडर निरस्त करने का अधिकार होगा।
36. निविदादाता यह सुनिश्चित करें कि नैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इनका सन्तुष्ट उत्तरदायित नैस संचालक का होगा।
37. कार्न लंग निविदादाता को भौतिक रूप से सनिति के सम्मुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैघ लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

- (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः पैथ (जी०एस०टी पंजीकरण) प्रगाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतग चरित्र प्रगाण पत्र, जो ८ गाह की अवधि के अन्तर्गत का हो।
- (d) निविदादाता द्वारा आवारीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/शैक्षणिक संस्थान में गत दो वर्षों में ऐसा संचालन का अनुग्रह प्रगाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रगाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रगाण पत्र में अंकित करें।
- (e) रथायी आयकर संख्या (PAN CARD) की छायाप्रति।
- (f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिट्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹० ५०००.०० का बैंक ड्राप्ट निदेशक है०न०ब०ग०वि०वि० बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (h) निविदादाता के पास ऐस संचालन कार्यों में पिछले ०२ वर्षों में न्यूनतम ट्रनओवर पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस छेत्र री०ए० द्वारा प्रगाणित वैलेंस रीट एवं ट्रनओवर प्रगाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवारीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा १०० के रुपाप्प पेपर पर देना होगा।
- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के रेवन रो किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिमोदारी निविदादाता की होगी। इस आशय का शपथ पत्र १०० रु० के रुपाप्प पेपर देना होगा।
- (k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रगाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिमोदारी ऐसी होगी (निविदादाता की) इस आशय का शपथ पत्र १०० रु० के रुपाप्प पेपर देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रगाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।
- नोट:- निविदादाता को कम संख्य ,I,j,k तक के शपथ पत्रों को एक ही रुपाप्प पेपर पर दिया जा सकता है।


25/07/23

निदेशक


25/07/2023

संयोजक/उप-छात्रावास अधीक्षक

प्रपत्र (ख) 2023–2024

कार्यालय निदेशक:- हे०न०व०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल
छात्रावास भोजन मैन्यू

टिहरी(टिठ०ग०)

दिन/वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 वजे	रात्रि भोजन
रविवार	उवले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा,चावल, रोटी,सब्जी खीर,सलाद	सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रु० 5.00 के मुल्य का	मल्का दाल, आलू न्यूट्रो की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी,चावल,रोटी, सब्जी, खीर,सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा चाय	कड़ी, चावल,रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड्ड छिलका दाल, मिण्डी की सब्जी, चावल,रोटी,सलाद
बुद्धवार	छोले भट्टूरे चाय	काला चना ,पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर ,आलू बीन की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
वृहत्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही चाय	उड्ड राजमा मिक्स दाल,चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी,सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल,आलू न्यूट्रो की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
शुक्रवार	उवले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी,रोटी एवं पुरी चाय	मिक्स दाल आलू वैंगन की सब्जी,रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना,पत्ता गोभी की सब्जी,रोटी चावल,सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाड़ी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल,आलू पालक की सब्जी,रोटी,चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, वैंगन भर्ता,चावल रोटी,सलाद

नोट:- 1— प्रत्येक बुद्धवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)

2—मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3—प्रत्येक दिन सलाद में मूली,प्याज,गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4—छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5— सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

6— सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी

प्रपत्र- (ग) 2023-20234

कार्यालय निदेशक:- ऐना०बा०गोपि०पि०परिरार बादशाहीथैलटिछरी(टिङ्गो)

राकनीकि विड

दिनांकः

हरताक्षर

निविदादाता का नाम

व परा पत्ता:

प्रपत्र— (घ)

कार्यालय निदेशक:- है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

वित्तीय विड 2023–2024

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मैनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भौति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रूपये (अंकों में) शब्दों में

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता.....

नाम:—

पता:—

मोबाइल नॉ:—